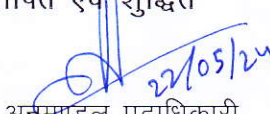
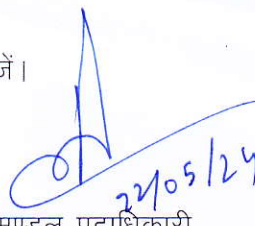


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर०ई० वाद सं०-36/2019-20

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
22.05-24	आदेश प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या-36/2019-20 (मिनहाज आलम-बनाम-अबिद खान एवं अन्य) आवेदक-मिनहाज आलम, पिता-स्व० अब्दुल रज्जाक, सा०-लखना, थाना व अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के द्वारा विपक्षी-अबिद खान एवं अन्य, सा०-लखना, थाना व अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत प्रशनगत भूमि मौजा-लखना, थाना नं०-267, जमाबंदी नं०-01, दाग नं०-260, 373, 374 में कुल रकवा-30 डी० जमीन से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए, अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-186/रा०, दिनांक-15/03/2021 एवं पत्रांक-18/रा०, दिनांक-05/01/2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. अंचल अधिकारी, मधुपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा-लखना, थाना नं०-267, जमाबंदी नं०-01, दाग नं०-260, रकवा-09 डी०, दाग नं०-373, रकवा-25 डी०, दाग नं०-374, रकवा-19 डी०, किस्म-मकान मेसहन कहकर अब्दुल मियां वल्द नन्दन मियां के नाम से सर्वे पर्चा में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के परपौत्र है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी द्वारा आवेदित भूमि के अंश रकवा-30 डी० पर अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। 04. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर दखल-कब्जा किया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-20 के विरुद्ध है। 05. अतः उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी-अबिद खान एवं अन्य, सा०-लखना, थाना व अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को मौजा-लखना, थाना नं०-267, जमाबंदी नं०-01, दाग नं०-260, 373, 374, कुल रकवा-30 डी० भूमि से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-42 के तहत उच्छेद किया जाता है। तदनुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	